उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय गुमला।
(विधि शाखा)
अधिहरण (Confiscation) वाद सं0–06 / 2021–22

सरकार
–बनाम–
महमूद अंसारी
आ दे श

पुलिस अधीक्षक, गुमला ने पत्रांक –1006 / अप0 शा0 दिनांक – 10.04.2021 के द्वारा वादी सुखराम पे0–स्व0 मंगलू राम सा0–461 बी ब्लॉक सोनारी थाना–सोनारी जिला–पूर्वी सिहंभूम जमशेदपुर वर्त्तमान पु0 अ0 नि0 के पद पर गुमला थाना में पदस्थापित के लिखित आवेदन के आधार पर गुमला थाना काण्ड सं0–481 / 2020 दिनांक–23.12.2022 धारा–414 / 34 भा0 द0 वि0 एवं 33 भारतीय वन अधिनियम के तहत् अवैध रुप से अवैध लकड़ी के साथ पकडे जाने के आरोप में जप्त ट्रक रजि0 सं0 – CG04DJ- 1637 के मालिक महमूद अंसारी पे0–महबुब अंसारी सा0–लकेया टंगरा टोली थाना–सिसई जिला–गुमला के विरुद्ध राजसात करने का प्रस्ताव प्राप्त है।

पुलिस अधीक्षक, गुमला के प्रतिवेदन के आलोक में कार्रवाई प्रारंभ करते हुए उत्तरवादी को अपना पक्ष न्यायालय में रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया तथा सहायक लोक अभियोजक गुमला से वैधिक मंतव्य की मांग की गई।

भारतीय वन अधिनियम के बिहार अधिनियम 9 / 1990 का धारा–52 के उप धारा (3) के अनुसार अधिहरण वाद का सुनवाई करने का प्रावधान प्रमण्डल, वन प्रमण्डल पदाधिकारी को है।

अतः इस वाद में विधिक सुनवाई हेतु मूल न्यायालय वन प्रमण्डल पदाधिकारी वन प्रमण्डल गुमला को हस्तांतरित किया जाता है।

इस आशय की सूचना पुलिस अधीक्षक गुमला / लोक अभियोजक, गुमला को भेजे।

लेखापिंत एवं संशोधित

15.11.22
उपायुक्त,
गुमला

15.11.22
उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2023.01.12 17:18:51 +05:30
Location: 192.168.5.111

Scanned with OKEN Scanner